न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 16/2024

1 सुप्यार देवी पत्नी रामकुमार जाति मीणा टोड़ी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 तुलसीराम पुत्र जगजीवनराम जाति माली निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

2 महिपाल पुत्र भापाल जाति जाट निवासी दुड़िया तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

3 रामनिवास पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

4 गुलाब पुत्र बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

5 जगदीश पुत्र बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

6 झण्डुराम पुत्र आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

7 धापा पुत्री आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

8 बनारसी पुत्री बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

9 बसन्ती पुत्री बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10 मन्नी पुत्री बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

11 मोहन पुत्री बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

12 रामकोरी देवी पत्नी आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

13 रामेश्वरी पुत्री बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

14 श्रीचन्द पुत्र आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

15 शीशराम पुत्र आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

16 सरदार सिंह पुत्र आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

17 आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा टोडी जरिये शाखा टोडी जरिये शाखा प्रबन्धक

18 युको बैंक शाखा गुढ़ागौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक

19 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.09.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दावा उनवानी तुलसीराम आदि बनाम गुलाब आदि, दावा बाबत विभाजन व दुरूस्ती रिकार्ड मुकदमा नम्बर 66/2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 17 / 2024

1 सुप्यार देवी पत्नी रामकुमार जाति मीणा टोड़ी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 तुलसीराम पुत्र जगजीवनराम जाति माली निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

2 महिपाल पुत्र भापाल जाति जाट निवासी दुड़िया तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

3 रामनिवास पुत्र नौरंगराम जाति जाट निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

4 गुलाब पुत्र बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

5 जगदीश पुत्र बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

6 झण्डुराम पुत्र आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

7 धापा पुत्री आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

8 बनारसी पुत्री बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

9 बसन्ती पुत्री बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(झुन्झुनूं)

10 मन्नी पुत्री बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

11 मोहन पुत्री बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

12 रामकोरी देवी पत्नी आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

13 रामेश्वरी पुत्री बक्सा जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

14 श्रीचन्द पुत्र आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

15 शीशराम पुत्र आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

16 सरदार सिंह पुत्र आशाराम जाति महाजन निवासी टोडी तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू राज.।

17 आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा टोडी जरिये शाखा टोडी जरिये शाखा प्रबन्धक

18 युको बैंक शाखा गुढ़ागौड़जी जरिये शाखा प्रबंधक

19 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गुढ़ागौड़जी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध एकपक्षीय अन्तिम निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 19.04.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी दावा उनवानी तुलसीराम आदि बनाम
गुलाब आदि, दावा बाबत विभाजन व दुरूस्ती रिकार्ड
बमुकदमा नम्बर 66/2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार मीणा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ईश्वर सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकार उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 66/2022 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से एक वाद विभाजन व दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 98 वाके ग्राम दुड़िया तहसील गुढ़ागौड़जी का पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से दिनांक 22.09.2022 को प्राथमिक डिक्री व दिनांक 19.04.2023 को अन्तिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर प्रतिवादिया नम्बर 13 ने दो पृथक–पृथक अपील प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री के खिलाफ धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट को उक्त वाद के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 की तामील सम्यक रूप से नहीं करवाई गई और एकप्खीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलान्ट ग्राम टोडी में उपस्थित था अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाब देही, साक्ष्य का अवसर नहीं मिला है। अपीलान्ट व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अन्य सहखातेदारों को बिना नोटिस जारी किये गत रूप से एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा तैयार नहीं कर पटवारी हल्का द्वारा तैयार करवाये गये है। कानूनन पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यू नियम के विपरित है। पटवारी हल्का तथा तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर बाबत कोई टिप्पणी भी अंकित नहीं की गई है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.09.2024 खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया/अपीलान्ट की हक हिस्से की भूमि स्वअर्जित भूमि है जो अपीलांट ने दिनांक 12.11.2014 को जरिये विक्रय पत्र भी रामनारायण पुत्र श्री रामजीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम गुड़ा व श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री सुलतान सिंह जाति जाट निवासी दुड़िया से जरिये विक्रय पत्र खरीदी थी उक्त विक्रेता रामनारायण व सुनिल कुमार भी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 98 के पश्चिमी हिस्से पर काबिज काश्त थे तथा उसके बाद अपीलान्ट द्वारा क्रय करने के रोज से आज तक भूमि खसरा नम्बर 98 के पश्चिमी हिस्से पर अपीलान्ट पुख्ता आवासीय मकानात बनाकर काबिज काश्त है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 (वादीगण) उक्त वादग्रस्त आराजी के पूर्वी हिस्स पर अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। इसलिए बिना भौतिक कब्जे की जांच किए रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 के प्रभाव में आकर तहसीलदार गुढ़ागौड़जी ने विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रस्तुत कर दिया। उक्त गलत विभाजन प्रस्ताव की आड़ में विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2023 पारित कर दी जो खारिज होने योग्य है। तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को जारी नोटिस बाद तामील अथवा अदम तामिल की सूरत में विचारण न्यायालय की पत्रावली में शामिल होने का आदेशिका पर अंकरन नही है। अपीलान्ट की प्रोपर तामील नहीं हुई तथा ना ही अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर मिला तथा प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर मामले का निर्णय किया जाना चाहिए। इसलिए भी विचारण न्यायालय का एकपक्षीय अन्तिम निर्णय एवं डिक्री

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

निरस्त होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये रजिस्ट्री तामील करवाई गई है। अपीलांट के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि सभी पक्षकारों को अच्छे में से अच्छी एवं बुरे में से बुरी भूमि समान रूप से विभाजन में दी गई है। विचारण न्यायालय में 14 प्रतिवादीगण थे। विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध केवल प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है। शेष प्रतिवादीगण की ओर से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये रजिस्ट्री तामील करवाई गई है। अपीलांट के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की है। पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि सभी पक्षकारों को अच्छे में से अच्छी एवं बुरे में से बुरी भूमि समान रूप से विभाजन में दी गई है। विचारण न्यायालय में 14 प्रतिवादीगण थे। विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध केवल प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है। शेष प्रतिवादीगण की ओर से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय के निर्णय हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर